अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं0 10/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा0का0नि0 (अ).--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के शीर्ष 2710 के अधीन आने वाले सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्पिरिट का उक्त वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित धारा 111 के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से, जितना छह रुपए प्रति लीटर की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार